



(☎ 022-22862703)  
ई-मेल/e-mail-[irw@dae.gov.in](mailto:irw@dae.gov.in)  
फैक्स/Fax No.-2204 8476 &  
2282 4354

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY  
औ. सं. एवं क. अनुभाग  
IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन  
Anushakti Bhavan,  
छ. शि. म. मार्ग  
C.S.M. Marg,  
मुंबई/Mumbai - 400001

सं.No.7/2/2019- आईआरएंडडब्ल्यू IR&W/ 14359

नवंबर November 22, 2019

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : डीईई सीएचएसएस नियमावली, 1998 के तहत माता-पिता  
Subject और सास-ससुर (महिला कर्मचारियों के लिए) को सीएचएसएस सुविधाएं प्रदान करना।  
Extension of CHSS facilities to parents and parents-in-law (in case of female employees) under DAE CHSS Rule, 1998 – reg.

\*\*\*\*

डीईई सीएचएसएस नियमावली, 1998 के सीएचएसएस नियम सं. 4.1(डी) के अनुसार मुख्य लाभार्थी के माता-पिता जो मुख्य लाभार्थी पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं और स्थाई रूप से मुख्य लाभार्थी के साथ रह रहे हैं उन्हें सीएचएसएस सुविधाएं प्रदान की गई हैं। डीईई सीएचएसएस नियम सं. 4.1 के तहत 'स्पष्टीकरण' नीचे 'सी' के द्वारा महिला कर्मचारी के पास सीएचएसएस सुविधा लेने के लिए अपने माता-पिता या अपने सास-ससुर को शामिल करने का विकल्प है। इसके अतिरिक्त, परमाणु ऊर्जा विभाग ने दिनांक 26.4.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/5/2015/आईआरएंडडब्ल्यू/5394 और दिनांक 28.12.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/14/2016/आईआरएंडडब्ल्यू/17165 के द्वारा निवास के प्रमाण और निर्भरता तय करने के लिए आय की सीमा के संबंध में दिशा-निदेश बनाए हैं।

In terms of CHSS Rule no. 4.1(d) of DAE CHSS Rule, 1998 parents of the prime beneficiary who are wholly dependent on the prime beneficiary and permanently residing with the prime beneficiary have been extended CHSS facilities. Vide 'Explanation' below 'C' under DAE CHSS Rule No.4.1, female employee has an option to include either her parents or her parents-in-law for availing the CHSS facility. Further, DAE vide OM No. 7/5/2015/IR&W/5394 dated 26.4.2016 and 7/14/2016/IR&W/17165 dated 28.12.2016, has framed guidelines with respect to proof residence and income limit for determining dependency, respectively.

2. यूनिटों और परमाणु ऊर्जा वर्कर एवं स्टाफ यूनियन से संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें इस प्रक्रिया को और स्ट्रीम लाइन करने और निवास के प्रमाण को अधिक उदार बनाने के संबंध में प्रावधान करने का अनुरोध किया गया है।

References have been received from Units and Atomic Energy Workers' & Staff Union requesting for further streamlining the procedure as well as making the provision with regard to proof of residence more liberal.

3. इस विषय को दिनांक 22.7.2019 को संपन्न सीएचएसएस समीक्षा समिति के समक्ष रखा। विचार-विमर्श के उपरांत, सीएचएसएस समीक्षा समिति ने यथा स्थिति बनाए रखने की सिफारिश की और इस प्रक्रिया को और उदार बनाने के उपाय सुझाए। तदनुसार, दिनांक 26.4.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/5/2015/आईआरएंडडब्ल्यू/5394 और दिनांक 28.12.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/14/2016/आईआरएंडडब्ल्यू/17165 के द्वारा बनाए गए दिशा-निर्देश को यथावत रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि आश्रित माता-पिता/सास-ससुर (महिला कर्मचारियों के संबंध में) को उस स्थिति में जहाँ वे पऊवि के दिनांक 28.12.2016 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा यथा अधिसूचित दस्तावेजों में से किसी एक को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वहाँ मुख्य लाभार्थी से वचन पत्र/हलफनामा के आधार पर सीएचएसएस सुविधा प्रदान की जाए। इस प्रकार के मामले में यदि किसी समय वचन पत्र/हलफनामा गलत पाया जाता है तो मुख्य लाभार्थी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी और आश्रित की सीएचएसएस सुविधाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।

The matter was placed before CHSS Review Committee meeting held on 22.7.2019. After deliberation, the CHSS Review Committee recommended to maintain the status quo and suggested measures to further liberalise the procedure. Accordingly, while maintaining the guidelines notified vide OM No. 7/5/2015/IR&W/5394 dated 26.4.2016 and 7/14/2016/IR&W/17165 dated 28.12.2016, it has been decided to further extend CHSS facility to dependent parents/parents-in-law (in case of female employees) based on undertaking/affidavit from the prime beneficiary in situations where they are not able to produce in support of proof of residence any of the documents as notified vide DAE OM dated 28.12.2016. In such case, if at any time the undertaking/affidavit is found to be fictitious, disciplinary action is to be initiated against the prime beneficiary and the CHSS facilities of dependent will be terminated permanently with immediate effect.

4. इसके अतिरिक्त, आश्रित मापदंड स्थापित करने के लिए प्रमाण के रूप में फाइल किए गए आईटी रिटर्न की पावती आयकर विभाग से प्रस्तुत करनी होगी।

Further, for establishing the dependency criteria, as a proof, acknowledgement from Income Tax Department of having filed the IT return should be submitted.

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of Competent Authority.



(राकेश गर्ग Rakesh Garg)

निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)